



675  
2010

NTK  
10/9/2013



राधारणी

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| भूमि का प्रकार                               | :- कृषि भूमि      |
| वार्ड / परगना                                | :- मुजफ्फरनगर     |
| मौहल्ला / ग्राम                              | :- बीबीपुर        |
| सम्पत्ति का नम्बर                            | :- खसरा नम्बर 47  |
| मापन की इकाई                                 | :- हैक्टेयर       |
| सम्पत्ति का विक्रीत रकबा                     | :- 0.333 हैक्टेयर |
| सड़क की स्थिति                               | :- नहीं है        |
| सम्पत्ति का प्रकार                           | :- कृषि           |
| पेडों का मूल्यांकन                           | :- नहीं है        |
| बोरिंग / कुआ / अन्य                          | :- नहीं है        |
| सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:- | नहीं है           |

शरदाशानी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 846578

-:2:-

|                                                   |    |                              |
|---------------------------------------------------|----|------------------------------|
| प्रतिफल की धनराशि                                 | :- | 10,00,000 / -रुपये           |
| मालियत                                            | :- | 17,50,000 / -रुपये           |
| निर्धारित दर                                      | :- | 30,00,000 / -रुपये प्रति है० |
| स्टाम्प शुल्क                                     | :- | 1,02,600 / -रुपये            |
| विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है। |    |                              |
| विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।      |    |                              |

हम कि श्रीमति राधा रानी पत्नी श्री मोहनलाल निवासी 38 बी0, नई मण्डी मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर, द्वारा पार्टनर अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाड़ा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं।

राधा रानी

4  
 धनराशि 25000/- (25000 x 1 = 25000)  
 पुत्र का नाम श्री सीता राम प्लेडर्स  
 पुत्र नं. 39 समा गा. वि. मुजफ्फर नगर  
 दिनांक 9-11-10 वास्ते वेगामा  
 सौजन्य/मह. पिकडिया  
 मुजफ्फरनगर

1,000,000.00/ 1,750,000.00 10,000.00 20 10,020.00 800  
 प्रतिकल बालिकल  
 श्रीमती राधा रानी  
 पत्नी श्री मोहन लाल  
 व्यवसाय गृहिणी

निवासी 38 बी नई मण्डी मुजफ्फरनगर  
 अस्थाई पत्र

ने उक्त लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/11/2010 समय 4:39PM  
 वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

राधारणी



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार  
 उपनिबन्धक प्रथम  
 मुजफ्फरनगर  
 18/11/2010

निष्पादन लेखपत्र काट मुद्रने व समझने समझने व पात्र धनराशि व धनराशि उक्त

श्रीमती राधा रानी  
 पत्नी श्री मोहन लाल  
 पेशा गृहिणी  
 निवासी 38 बी नई मण्डी मुजफ्फरनगर

राधारणी



श्री सीतारामबिल्डर्स द्वारा अपन बसंत  
 पुत्र श्री अजय बंसल  
 पेशा व्यापार  
 निवासी 36 इमामबाबा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनको खतान श्री प्रवीण कुमार  
 पुत्र श्री मोहन लाल  
 पेशा व्यापार

निवासी 38 बी नई मण्डी मुजफ्फरनगर

व श्री नवीन कुमार  
 पुत्र श्री मोहन लाल

पेशा व्यापार

निवासी 38 बी नई मण्डी मुजफ्फरनगर

ने की।

प्रत्यक्ष भद्र माक्षिण के निजान आगुटे निधनानुसार निवे मये हैं।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार  
 उपनिबन्धक प्रथम  
 मुजफ्फरनगर  
 18/11/2010



50180



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 491239

कौषागर

31 JUL 2010

मुजफ्फरनगर

-:3:-

जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित के मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है। यह भूमि हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली भूमि निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है और प्रथम पक्ष ने भूमि निम्नलिखित द्वारा इकरारनामा दिनांक 01-07-2010ई0

राधाशर्मा

③ 25080/-  
 सदाशिव का नाम श्री श्रीवास्तव बिराड  
 पुत्र श्री 29 सुकरा बाही सु. नगर  
 निवासी 30 कारवे द्वारा श्री अमर बंसल  
 दिनांक 31-7-10 रोड डिवा. रोड डिवा.  
 कोषगार, मुजफ्फरनगर

विकेता

Registration No.: 12726

Year: 2010

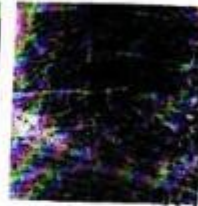
Book No.: 1

0101 राधा रानी

मोहन लाल

38 बी नई नम्ब्री मुजफ्फरनगर

वृद्धिणी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 309309

29 JUL 2010  
मुजफ्फरनगर

-:4:-

द्वितीय पक्ष को विक्रय करनी तय की थी जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम में बही नं० 1 की जिल्द 5631 के पृष्ठ 365-376 पर क्रमांक 7939 पर दिनांक 01-07-2010ई० पर दर्ज है। अतः प्रथम पक्ष ने भूमि निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार

शायरानी





162

शाम्भू केता का नायक पुरा

प्राप्ति का नाश ब पूरा

उ.प्र. सुदामा माता

विष्णु की वनराशि.....

सहस्रील मयूर, सुखपचारमगव

प्रा. ४०४

कार्यालय की तारीख 31-8-2011

$$5000 \times 3 = 15000$$

महेश्वर सुनार अर्ज  
(सहाय्य विजेता)

**केन्ता**

Registration No. : 12726

Year : 2,010

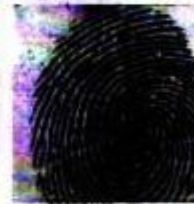
Book No. : 1

0201 सीतारामविल्डर्स द्वारा अमन बसल

अजय बंसल

36 इमामबाद प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर

**व्यापार**





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 309310

29 JUL 2010

मुजफ्फरनगर

:-5:-

के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन दस लाख रुपये (10,00,000/-रुपये) आधे जिसके अंकन पाँच लाख रुपये (5,00,000/-रुपये) होते हैं बदस्त सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर, द्वारा पार्टनर अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाड़ा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य में से अंकन

राधारणी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 309311

29 JUL 7 110  
मुजफ्फरनगर

-:6:-

2,50,000/-रुपये द्वारा इकरारनामा दिनांक 01-07-2010ई0 प्राप्त कर लिये थे तथा शेष अंकन 7,50,000/-रुपये द्वारा एक किता बैंक नम्बरी 251012 दिनांकित 11-10-2010ई0 जारी कर्ता विजया बैंक शाखा मुजफ्फरनगर प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बनिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का

राधारणी

*[Signature]*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 309485

30 JUL 2021  
मुजफ्फरनगर

-:7:-

करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हें अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या

राधारणी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 309486

30 JUL 2018  
मुजफ्फरनगर

-:8:-

उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें।  
इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं  
होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग,  
बाईपास या खडन्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है।  
विक्रीत भूमि खसरा नम्बर 47 रकबई 0.6510 हेक्टेयर का जुजबी भाग है

राधाशर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 004347

-:9:-

नम्बर मजकूर मे 0.2204 हैक्टेयर भूमि अकृषिक घोषित की हुयी है शेष भूमि कृषि भूमि है क्रेता ने रेट लिस्ट के सामान्य निर्देश की धारा 16 के अनुसार निर्धारित दर के 75 प्रतिशत अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि मे कोई पेड ट्यूबवैल बोरिंग नही है। विक्रीत भूमि की

राधाशर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 004659

-:10:-

मालियत निर्धारित दर के अनुसार अंकन 17,50,000/- रुपये होती है, लेकिन विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 10,00,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नहीं है, स्टाम्प शुल्क 17,50,000/- रुपये की मालियत पर अदा किया गया

साधारणी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 459292

-:11:-

है। बौनामा हाजा उक्त इकरारनामा के अनुपालन में द्वितीय पक्ष के हक में किया जा रहा है। विक्रीत भूमि के 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम बीबीपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 47 रकबई

राधारणी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 338383

-:12:-

0.6510 है० का कुल हक व हिस्सा 333/651 भाग, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

नोट:- इकरारनामा दिनांक 01-07-2010 ई० पर अंकन 20,010/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था और अब बैनामा हाजा मे इकरारनामा पर अदा किये गये स्टाम्प शुल्क अंकन 20,010/- रुपये में

राधारणी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 338384

-:13:-

से अंकन 19,910/-रुपये का स्टाम्प शुल्क मुजरा करके शेष अंकन 1,02,600/- रुपये का स्टाम्प शुल्क बैनामा हाजा पर अदा किया गया है।

राधाशर्मा

*[Signature]*

साक्षी  
विनोद कुमार  
श्री ६ अक्टूबर  
38.15 नई गंगा  
मुजफ्फर

साक्षी  
विनोद कुमार  
श्री ६ अक्टूबर  
38.15 नई गंगा  
मुजफ्फर

तहसील ता०:-10-11-2010 ई०

ड्राफ्ट कर्ता:-विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।

*[Signature]*

आज दिनांक 18/11/2010 को  
वही सं. 1 जिल्द सं. 5864  
पृष्ठ सं. 183 से 212 पर क्रमांक 12726  
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
अरुण कुमार

18/11/2010

